पत्रांक 1420 उ0,

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
समस्तीपुर।

सेवा में,

1. पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर।
2. नगरपालिका अध्यक्ष, समस्तीपुर।
3. सभी वार्ड आयुक्त।

समस्तीपुर, दिनांक 14/12/13

विषयः— **वर्ष—2014—15 के लिए उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती हेतु उत्पाद परामर्शदात्री समिति की बैठक में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित तथा प्रस्तावित देशी शराब दुकानों के संबंध में अगामी वर्ष—2014—15 के लिए उत्पाद परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक—27.12.2013 को 11.00 बजे पूर्वाहन् में समाहर्त्ता, समस्तीपुर के कार्यालय कक्ष में निर्धारित किया गया है।

अतः माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि उक्त बैठक में दिनांक—27.12.2013 को 11.00 बजे पूर्वाहन् में उत्पाद परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने का कष्ट करेंगे, ताकि बैठक की कार्यवाही प्राप्त कर सरकार को ससमय बन्दोवस्ती प्रस्ताव भेजा जा सकें। यदि उत्पाद दुकान के स्थल के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अपना प्रतिवेदन अधीक्षक उत्पाद, कार्यालय समस्तीपुर में दिनांक—26.12.2013 तक समर्पित किया जा सकता है।

समस्तीपुर नगर परिषद् में पड़ने वाले देशी शराब दुकानों का नाम :—

1. समस्तीपुर नं0—01 देशी शराब दुकान
2. समस्तीपुर नं0—02 देशी शराब दुकान
3. समस्तीपुर नं0—03 देशी शराब दुकान
4. समस्तीपुर नं0—04 देशी शराब दुकान
5. समस्तीपुर नं0—05 (मोहनपुर) देशी शराब दुकान
6. समस्तीपुर नं0—06 (मथुरापुर—अकबरपुर) देशी शराब दुकान
7. समस्तीपुर नं0—07 (धर्मपुर—पुसा रोड) देशी शराब दुकान
8. समस्तीपुर नं0—08 (दुधपुरा—ताजपुर रोड) देशी शराब दुकान

विश्वासभाजन

14.12

समाहर्त्ता,
समस्तीपुर।

ज्ञापांक 1420 /उ0, समस्तीपुर, दिनांक 14/12/13

प्रतिलिपि :— अवर निरीक्षक उत्पाद, सदर अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे अध्यक्ष एवं सभी वार्ड आयुक्त, समस्तीपुर, नगर परिषद् से सम्पर्क कर निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में भाग लेने के लिए स्मारित करेंगे।

14/12

समाहर्त्ता,
समस्तीपुर।

ज्ञापांक 1420 /उ0, समस्तीपुर, दिनांक 14/12/13

प्रतिलिपि :– सूचना जन सम्पर्क विभाग को प्रकाशन हेतु प्रेषित एवं NIC को सूचनार्थ एवं उन्हें निदेशित किया जाता है कि अपने बेवसाइट पर अपलोड कर दें।

प्रतिलिपि :– निरीक्षक उत्पाद/अवर निरीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं उन्हें निदेशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं नियामानुसार लॉडिस्पीकर से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

समाहर्त्ता,
समस्तीपुर।